बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 2014

संख्या :– 11/नि०1–03/2010..... भारत–संविधान के अनुच्छेद–243 ब सहपठित बिहार नगर पालिका अधिनियम–2007 की धारा–45, 47 (4) एवं 419 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल, बिहार नगर निकाय–माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

"बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली 2014"

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :–
   (i) यह नियामवली "बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली 2014" कही जायेगी।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (iii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 का संशोधन।
   (i) उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 के उप नियम (क) के खण्ड (viii) के बाद निम्नलिखित खण्ड (ix) जोड़ा जायेगा।
   "(ix) भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिया जायेगा।"
   (ii) उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 के उप नियम (ख) के खण्ड (iv) के बाद निम्नलिखित खण्ड (v) जोड़ा जायेगा।
   "(v) भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिया जायेगा।"
3. नियमावली, 2006 के नियम 6 का संशोधन :–

नियमावली, 2006 के नियम 6 के उप नियम (ix) (क) की अंतिम पंक्ति को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित एवं उप नियम (xi) को विलोपित करते हुए निम्नलिखित पंक्तियाँ उसके साथ जोड़ी जायेगी :–

"तृतीय समव्यवहार के उपरान्त यदि रिक्त रहने पर नियोजन इकाई द्वारा चौथे समव्यवहार में रिक्त पदों के 10 गुणा तक मेधा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को बुलाकर निर्धारित तिथि/कैम्प के माध्यम से नियोजन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। रिक्त पदों के अन्तर्गत उन पदों की गणना भी की जाएगी जो इस नियोजन के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा योगदान करने के उपरान्त पद छोड़ कर किसी दूसरे नियोजन इकाई में योगदान कर लिया गया हो। ऐसा पद उसी कोटि का माना जाएगा जिस कोटि के अभ्यर्थी ने पद छोड़ा हो। चौथे समव्यवहार के उपरान्त भी यदि रिक्तियाँ शेष रह जाएगी तब शेष

Scanned by CamScanner

रिक्तियों को भरने हेतु समक्ष तालिका अलग से निर्धारित कर उन्हें भरने हेतु इसी प्रकार का कार्यक्रम निर्धारित किया जा सकेगा।"

4. नियमावली, 2006 के नियम 8 खण्ड (viii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"(viii) (क) शिक्षकों के वरीयता, प्रधानाध्यापक के प्रोन्नति के संबंध में सरकार द्वारा अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(ख) शिक्षकों के वरीयता एवं प्रोन्नति के उपरांत उनके नियत वेतन वहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।"

5. नियमावली 2006 के नियम 12 के उप नियम (1) की खण्ड (v) के बाद निम्नलिखत खण्ड (vi) जोड़ा जायेगा :—

"(vi) शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को उनकी सेवा अवधि में अधिकतम तीन वर्ष के लिए अवैतनिक अध्ययन अवकाश अनुमान्य होगा। अध्ययन अवकाश में नियोजन अक्षुण्ण रहेगा। अध्ययन अवकाश नियोजन इकाई द्वारा मंजूर किया जायेगा।"

6. "नियमावली, 2006 के नियम 14 के उप नियम (ख) के खण्ड (iv) के बाद निम्नलिखत खण्ड (v) जोड़ा जायेगा।"

"(v) जिला प्रशासन अथवा शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान किसी शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को विद्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित पाये जाने पर स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। स्पष्टीकरण असंतोषप्रद होने पर संबंधित शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष की अनुपस्थिति अवधि का वेतन काटने का निदेश दिया जा सकेगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/—

(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 11/नि०1—03/10..101.. पटना, दिनांक 23/11/ 2014

प्रतिलिपि : सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग।

D:/Ajit Sir/Niyamawali/Nagar Sansodhan Niyamawali (Secondary Teacher)20.01.14

Scanned by CamScanner